

व.स.
१८/अ.स. २
केसा करने


का.स. १

19.10.20

पथावली पैसा वकील वादी उपर
पेलेकार साहाल को वाद वादी पर
आपत्ति नही है

जेल विडाम अधिवक्ता वादी
ज पेलेकार साहाल सुनी जल पेलेकार
साहाल को वाद वादी रागहिल प्रकविल
नहीं होन के लीकाल कार्य में आपत्ति
नही है

वामा आदेश 22.10.20 को प्रेम है


उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

पमावली पेशा वकील वादी उपस्थित है।
पमावली का आधोपान्त अवलोकन किया
गया। वादी के वादपत्र के कथन, संकेत लेख,
पौचिट्टा अनुलोष, पेटेकार साफार के
जवाब एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
एवं बरख विहार अधिवक्ता वादी पर
सम्बन्ध विचार किया गया।

श्रीवादी को वादी की रिक्की पर
आपत्ति नहीं है। श्रीवादी द्वारा दाख भंग
जमावंदी को गलत माना है।

दोसरे बरख विहार अधिवक्ता वादी का
कथन है, कि वादागत 2 अमि वादी की एकमात्र
खालेदारी की ही खेतीगेशन जमावंदी में
इसको दो खालेदारी के नाम दर्ज कर दिया
गया। हिस्सा 1/2 में मालामाल नाम हिस्सा 1/2
में लक्ष्मीनाथमाल। वादी लक्ष्मीनाथमाल ही
एकमात्र खालेदार था। मालामाल नामक वादी
के कोई भाई हैं, ही नहीं, न बचप ही
किया गया।


श्रीवादी। पेटेकार साफार को आपत्ति
नहीं है। जमावंदी बन्दोवस्त 2004-24
में खाला नं० 239 पर खालर नम्बर 411
कबा 0.81 हे० 2 अमि लक्ष्मीनाथमाल वल्द
कन्हीराम अहीर के नाम पर रज रिकार्ड
ही पलन्दू हाकिमा जमावंदी में उरख
खण्ड नं० की 2 अमि मालामाल 510 कन्हीराम 1/2


सपखण्ड अधिकारी

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

व लक्ष्मीनाथायण डा० कन्हीलाम के नाम से
कट दिया है, जो सुरिद्रोण प्रतीत होता है
प्रकल के शुणावशुण पर सम्पूर्ण विचार
किया गया। वारी के डारा वोटिक्त अनुलोष
पर प्रतिवादी को आपत्ति नहीं है अतः -
सहमति के आधार पर वाद वारी लीकाल
किया जाकर यह आदेश दिया जाता है, कि
ग्राम नूरपुरा की डूमि खसला नम्बर
५॥ कबा ०.४१ हेक्टर पर से नाथायण का
१/२ हि० से नाम विलोपित कर सम्पूर्ण
हिस्सा लक्ष्मीनाथायण के नाम से
किया जावे। रिकार्ड से अमन रामड
किया जावे। तदनुसार डिप्टी मुतिब ही
पम्बावली की निर्णित से गठाना की
जाकर प्रविष्ट लेख भंडार ही
निर्णय आज दिनांक २२.१०.२०२० को
मेरे द्वारा लिखाया जाकर विद्वत् न्यायालय
में सुनाया गया।


(देशल दान)
T.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
सम्भल जम्हा

अंतिम डिकरी व मुकद्दमे ~~इति~~

(अंडर 20, कल 6-7, जाप्ता दीधानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपाखंड अधिकारी मुकाम रामगंजमण्डी

ब इजलास देशल दान (I.A.S.)

बनाम लक्ष्मीनाथ
दावा बाबत 88.89 R.F. Pl. व 136 L.R. Pl.

मुकद्दमा नं. 152 सन् 2019
G.C.M.S. 2019/00211

यह मुकद्दमा आज वास्ते इतफिसाल कतई रु-व-रु देशल दान (I.A.S.)

बहाजरी S.B. अली एड. मिनजानिव मुद्दई व पेगला सफा

मिनजानिव मुद्दायलाह पेश होकर, हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि
वाड वादी स्वीकार किया जाऊए एट बादम रिम जात है कि ग्राम रूपुरा की
क्षेत्री खोनं. पा। एनो 0.81 हे. एट स नाथामा गा हि. Y₂ स नाम विलोपित
कत सम्पूर्ण लिस्सा लक्ष्मीनाथ के नाम करी किया जावे।
रिकार्ड में अमल रामद री

बीज ✓ मुबालग ✓ बाबत ✓

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व खरह ✓ फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख बसूलयाबी तक ✓ को अदा करे।

बसूल मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 10 2020

को जारी की गई।

महर उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

मुद्दई	रक्य	पं.	मुद्दायलाह	रक्य	पं.		
स्टाम्प बर्जी / वा	/		स्टाम्प वकालतनामा	/			
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प बर्जी				
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर				
महनताना वकील			खर्चा गवाहान				
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर				
फीस कमिशनर			बाबत इजराय हुकमनामा				
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिफ				
मुतफरिफ							
मीजान....						मीजान ...	

नोट: इस खर्चे के काम पर कुब खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो वा नहीं दर्ज करना
चाहिये। वाड व्यय पेगला अपना-अपना वरम कत

रा. नु. नो. 139-2006-1;00,000 काम

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी